



दिनांक:- 07.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रामप्रवेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम/धरपकड व उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही के अनुपालन के क्रम में दिनांक 06.02.2021 को थाना महोबकंठ थानाध्यक्ष दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम ने अभियान में सम्मिलित होकर कनकुआ तिराहा कस्बा महोबकंठ से दो नफर अभियुक्त क्रमशः 1. वकील पांचाल पुत्र लल्लूराम उम्र करीब 25 वर्ष के कब्जे से 25 अदद देशी क्वाटर ठेका शराब नाजायज एवं 2. कृष्णपाल यादव उम्र करीब 35 वर्ष के कब्जे से 20 अदद क्वाटर देशी शराब ठेका नाजायज बरामद निवासीगण कोटरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध मे अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं013/21 व 14/21 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- थाना महोबकंठ।

1. उ0नि0 सुनील कुमार
2. का0 प्रद्युम्न कुमार

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. वकील पांचाल पुत्र लल्लूराम उम्र करीब 25 वर्ष
2. कृष्णपाल यादव उम्र करीब 35 वर्ष निवासीगण कोटरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा



दिनांक:- 07.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री राजकुमार पाण्डेय के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम/धरपकड व उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही के अनुपालन के क्रम में दिनांक 06.02.2021 को अभियान के दृष्टिगत प्र0नि0 थाना खरेला श्री अनिल कुमार द्वारा गठित टीम ने अभियान में सम्मिलित होकर अभियुक्त अरविन्द पुत्र इन्द्रपाल कुचबंदिया उम्र करीब 28 वर्ष को रामतलैया के पास से कस्बा व थाना खरेला से 35 अदद पउआ देशी शराब ठेका नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- थाना खरेला।

- 1.उ0नि0 रामराज सिंह
- 2.का0 सुदयवीर
- 3.का0 भारत मौर्य

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 35 अदद पउआ देशी शराब ठेका नाजायज बरामद होना।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अरविन्द पुत्र इन्द्रपाल कुचबंदिया उम्र करीब 28 वर्ष निवासी मुहल्ला आलमपुरा कोतवाली महोबा जनपद महोबा हाल पता काशी राम कालोनी कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा।





दिनांक:- 07.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी कुलपहाड के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने व वांछित / वारंटियों अपराधियों की धरपकड़ अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी श्री विनोद कुमार यादव द्वारा गठित टीम ने वारंटी किशोरीलाल पुत्र रामचरन उम्र करीब 55 वर्ष निवासी बजना का पुरा कस्बा व थाना पनवाड़ी जिला महोबा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ.नि. शेरे आलम खां
2. का. अवनीश सरोज
3. का. अभिषेक यादव
4. का. गौरव तिवारी
5. म. का. दीपिका पाल

गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता -

1. किशोरीलाल पुत्र रामचरन उम्र करीब 55 वर्ष निवासी बजना का पुरा कस्बा व थाना पनवाड़ी जिला महोबा।





दिनांक:- 07.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने चोरी की गयी 02 अदद बिजली मोटर सहित 02 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार

आज दिनांक 07.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के पर्यवेक्षण में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी चरखारी के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान तलाश वांछित अपराधी गिरफ्तारी व बरामदगी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर श्री संजय कुमार शर्मा द्वारा गठित टीम SI मो सुल्तान मय हमराह कां० तेजसिंह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु०अ०सं० 26/21 धारा 379 भादवि के वांछित अभियुक्त 1.मुन्ना पुत्र राजाराम राजपूत 2. अमर सिंह पुत्र द्वारका राजपूत निवासीगण ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर जिला महोबा को गिरफ्तार किया । जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी की गई मोटर के अलावा ग्राम तिन्दौली से चोरी की गई एक अन्य मोटर भी बरामद हुई । अभि०गणो को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- अभि०गण 1.मुन्ना पुत्र राजाराम राजपूत 2. अमर सिंह पुत्र द्वारका राजपूत निवासीगण ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर जिला महोबा ।

बरामदगी- दो अदद बिजली मोटर बरामद ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

उ०नि० मो सुल्तान
कां० तेज सिंह



दिनांक:- 07.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने वारंटी/वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

आज दिनांक 07.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आर0के0 गौतम के पर्यवेक्षण में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी चरखारी के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान अवैध शस्त्र शराब जुआ तलाश वांछित अपराधी गिरफ्तारी व बरामदगी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर श्री संजय कुमार शर्मा द्वारा गठित टीम SI हेमराज सिंह मय हमराह हे.का.रामेन्द्र सिंह के मुखबिर खास की सूचना पर वारन्टी अभियुक्त नन्दकिशोरपाल पुत्र कन्धीपाल नि.कैमाहा बडी टपिरियन थाना श्रीनगर जिला महोबा सम्बन्धित वांछित एनबीडब्लू अपराध सं.83/17 धारा 457/380/411 भादवि को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

उ0नि0 हेमराज सिंह

हे.का.रामेन्द्र सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- अभि.नन्दकिशोरपाल पुत्र कन्धीपाल नि.कैमाहा बडी टपिरियन थाना श्रीनगर जिला महोबा।





दिनांक:- 07.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना अजनर पुलिस टीम ने 30 ली0 कच्ची अवैध शराब सहित 02 नफर अभियुक्ता को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 07.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर.के.गौतम के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रामप्रवेश राय के द्वारा अवैध शराब बेचने व बनाने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक अजनर श्री श्यामप्रताप पटेल थाना अजनर द्वारा गठित टीम के द्वारा मुखविर खास की सूचना पर कबूतरा डेरा खोई से अभियुक्ता गण 1. श्रीमती रीना पत्नी गोपाल कबूतरा उम्र 45 वर्ष नि. कबूतरा डेरा खोई थाना अजनर महोबा 2.

श्रीमती रागिनी पत्नी सुरेन्द्र कबूतरा उम्र 20 वर्ष नि. कबूतरा डेरा खोई थाना अजनर महोबा के कब्जे से एक – एक प्लास्टिक की पिपया में 15 - 15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद की गयी। जिसके आधार पर थाना हाजा पर क्रमशः मु.अ.सं. 25 व 26/2021 धारा 60 आवकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

नाम व पता गिरफ्तारी अभियुक्ता-

1. श्रीमती रीना पत्नी गोपाल कबूतरा उम्र 45 वर्ष नि. कबूतरा डेरा खोई थाना अजनर महोबा
2. श्रीमती रागिनी पत्नी सुरेन्द्र कबूतरा उम्र 20 वर्ष नि. कबूतरा डेरा खोई थाना अजनर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री हरिश्चन्द्र मिश्रा थाना अजनर जनपद महोबा
2. का.अशोक कुमार थाना अजनर जनपद महोबा
3. आबकारी निरीक्षक श्री योगेश कुमार
4. आबकारी का. मुस्ताक उल्ला
5. आबकारी म.का. संगीता देवी

बरामदगी- एक – एक प्लास्टिक की पिपया में 15 - 15 लीटर कच्ची शराब कुल 30 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद।



दिनांक:- 07.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में मासिक सैनिक सम्मेलन एवं अपराध गोष्ठी की गयी आयोजित...।

छोटी से छोटी घटना पर भी पैनी नजर बनाये रखते हुये सभी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर अपराधियों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें...।

आज दिनांक 07.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी पुलिस लाइन प्रांगड/सभागार में आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक महोबा गोष्ठी में सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मौजूद सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश निर्गत किये। जिसमें मुख्य रूप से आये हुये सभी आरक्षियों से आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर अपने-अपने बीट क्षेत्र में सक्रिय रहने एवं चुनावी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने एवं अपने बीट क्षेत्र में लगातार गस्त कर ग्रामवासियों से संवाद बनाये रखने के सख्त निर्देश देते हुये सबको अपनी उपयोगिता सिद्ध करने को कहा गया। सैनिक सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक द्वारा माह जनवरी-2021 में जनपद के समस्त थानों में से अच्छा कार्य करने वाले 11 आरक्षियों को प्रशस्ति-पत्र वितरित कर उनका उत्साह वर्धन किया गया।



सैनिक सम्मेलन के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी की गयी जिसमें जनपद के अपराधों की समीक्षा की गयी साथ ही आगामी होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के संबंध में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों / थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये-

- 1.ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी / थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों के संवेदनशील गावों में भ्रमणशील रहेंगे।
- 2.जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि बीट आरक्षी

अपराध रजिस्टर 08 लेकर गांव का भ्रमण करेंगे तथा हिस्ट्रीशीटर / जिलाबदर / टॉप टेन अपराधियों की यथास्थिति के बारे अपने-अपने थाना प्रभारी को अवगत करायेगे।

3. जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायत चुनाव के तहत वर्तमान एवं पूर्व प्रधान के आपसी विवादों पर नजर बनाये रखें एवं आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।



दिनांक:- 07.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



4. अवैध शराब / गांजा / जुआ के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।
5. समस्त थाना प्रभारी गावों कि पुरानी रंजिशों पर नजर बनाये रखेंगे।
6. समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में शस्त्र लाइसेंसो का सत्यापन की कार्यवाही करेंगे। जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों के विरुद्ध अभियोग दर्ज हैं उनके लाइसेंस रद्द कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाये।
7. समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों पर निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये ज्यादा से ज्यादा मुचलके पर पाबन्द करायें।
8. संवेदनशील/अतिसंवेदनशील बूथ का चिन्हांकन करेंगे। वोटर लिस्ट संबंधित समस्याओं के संबंध में **B.L.O/S.D.M** से वार्ता करेंगे।
09. ग्राम पंचायत चुनाव के तहत थाना क्षेत्र में प्रभावी गस्त/पिकेट करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ताकि किसी भी घटना को घटित होने से रोका जा सके।

इसी क्रम में समस्त क्षेत्राधिकारीगण एवं थाना प्रभारियों से जनपद में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही गुण्डा एक्ट, जमानत-निरस्तीकरण आदि कार्यवाहियों को प्रभावी तरीके से करने हेतु समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिशा-निर्देश दिये गये। महिला सम्बन्धी अपराधों में अपहृता की बरामदगी व अन्य विधिक कार्यवाही तत्परता से करने के भी निर्देश दिये गये। थानों पर लम्बित विवेचनाओं को गुण-दोष के आधार पर त्वरित निस्तारण करने हेतु सभी को निर्देश किये गये एवं समस्त क्षेत्राधिकारीगणो को अर्दली-रूम करके इनके निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।

इसी क्रम में अपराधियों के विरुद्ध सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया, जिलाबदर अपराधियों का सत्यापन किया जाये जो भी जिलाबदर अभियुक्त जनपद में मौजूद मिले उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जाये जिससे आमजन में सुरक्षा का भाव बना रहे।

गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम, क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री राजकुमार पाण्डे, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रामप्रवेश राय, समस्त थाना प्रभारी व अन्य सभी शाखाओं के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।





दिनांक:- 07.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस द्वारा मुख्य बाजार में पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग...। यातायात पुलिस द्वारा प्रचार वाहन के माध्यम से आमजन मानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया

आज दिनांक 07.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा क्षेत्र के मुख्य बाजार/बस-स्टैंड, होटल, ढाबा, मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थलों आदि की संघन चेकिंग की गई एवं अनावश्यक रूप से रोड़ पर घूम रहे लोगो से भी पूछताछ की गई। **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **21 वाहन चालको से 3400/-रु0 शमन शुल्क व 54 ई-चालान किये गये।**



इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह निर्धारित कार्यक्रम के क्रम में शहर में एलईडी प्रचार वाहन से शहर के प्रमुख चौराहों पर आम जन मानस को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करें, नशे की हालात में वाहन को न चलायें, वाहनों को अधिक गति से न चलायें, वाहनों पर स्वीकृत सवारियों से अधिक सवारियों को न बैठायें तथा वैध लाइसेंस के साथ ही वाहन चलाने के साथ-साथ वाहनों को निर्धारित पार्किंग पर खड़ी करने हेतु जागरूक किया गया। जिससे सभी को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके तथा होने वाली दुर्घटनाओं को रोक जा सका।



दिनांक:- 07.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने 25 अदद क्वाटर ठेका देशी अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

दिनांक 07.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 दशरथ सिंह मय हमराह HG पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्त 'टीकाराम पुत्र बाबूलाल उम्र करीब 65 वर्ष नि0ग्राम नैपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा से 25 अदद क्वाटर ठेका देशी अवैध शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 15/21 धारा 60 Ex. Act पंजीकृत किया गया।


गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 दशरथ सिंह
2. हो0गा0 पुष्पेन्द्र सिंह

अभियुक्त का नाम व पता-

'टीकाराम पुत्र बाबूलाल उम्र करीब 65 वर्ष नि0ग्राम नैपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

बरामदगी- 25 अदद क्वाटर ठेका देशी अवैध शराब बरामद





दिनांक:- 07.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

